क्रम संख्या–112 (ख) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 ई0
श्रावण 04, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 326/IX–1/220(2007)/2019
देहरादून, 26 जुलाई, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 8 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–I दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–II में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

8. सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैः–

स्तम्भ I विद्यमान नियम			स्तम्भ II एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
क्र0स0	**पदनाम**	**अर्हतायें**	**क्र0स0**	**पदनाम**	**अर्हतायें**
एक	**प्रवर्तन सिपाही**	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हृष्ट–पुष्ट डील–डौल का होना चाहिए	**एक**	**प्रवर्तन सिपाही**	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की **इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण** होना चाहिए।
दो	**प्रवर्तन चालक**	(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उर्त्तीण कर ली हो, और (दो) यथास्थिति भारी, हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस रिक्त अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता है।	**दो**	**प्रवर्तन चालक**	(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उर्त्तीण कर ली हो, और (दो) यथास्थिति भारी, हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस रिक्ति अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता है।

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–I में दिये गये विद्यमान नियम 9 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–II में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा; अर्थात्:–

	स्तम्भ I विद्यमान नियम	स्तम्भ II एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 9 का संशोधन	(2) अन्य बातों के समान होने पर प्रवर्तन चालक के पद पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसने/जिसे–	(2) अन्य बातों के समान होने पर प्रवर्तन चालक के पद पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसने/जिसे–(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा

स्तम्भ I विद्यमान नियम	स्तम्भ II एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, (दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो, (तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।	उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, (दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान तथा किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वाहन यांत्रिकी का प्रमाण पत्र धारक हो। (तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–I में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–II में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा; अर्थात:–

नियम 10 का संशोधन

स्तम्भ I विद्यमान नियम	स्तम्भ II एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा उतनी होगी जितनी भर्ती के समय उस समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।	सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन करने हेतु भर्ती वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ– I में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–II में दिये गये नियम रख दिया जायेगा; अर्थात:–

नियम 13 का संशोधन

स्तम्भ I विद्यमान नियम	स्तम्भ II एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा	किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि

स्तम्भ I विद्यमान नियम	स्तम्भ II एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। प्रवर्तन सिपाही/ पर्यवेक्षक के पद के लिये अभ्यर्थी को ऊंचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए:– (एक) ऊँचाई-- (क) सामान्य/अनु0जाति/ पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए–160 सेंटीमीटर (ख) अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये– 157.5 सेंटीमीटर (दो) सीना–बिना फुलाये 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर– 81.3 सेंटीमीटर परन्तु यह कि "किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का वर्ण–अंधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है: परन्तु यह भी कि सटा घुटना सपाट पैर बौ–लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो प्रवर्तन सिपाही की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें, को अयोग्यता माना जायेगा।"	मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। प्रवर्तन सिपाही/पर्यवेक्षक के पद के लिये अभ्यर्थी को ऊंचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए:– (एक) ऊंचाई– (क)सामान्य/अनु0जाति/ पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए–165 सेंटीमीटर (ख) अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये– 160 सेंटीमीटर (ग) महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर (दो) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना–बिना फुलाये 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर– 83 सेंटीमीटर परन्तु यह कि "किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का वर्ण–अंधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना आवश्यक है: परन्तु यह भी कि सटा घुटना सपाट पैर बौ–लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो प्रवर्तन सिपाही की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें, को अयोग्यता माना जायेगा।"

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **326/IX-1/220(2007)/2019,** dated July 26, 2019 for general information:

No. 326/IX-1/220(2007)/2019
Dated Dehradun, July 26, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to further amend the Uttarakhand Transport Department Enforcement Staff Service Rules, 2004.

THE UTTARAKHAND TRANSPORT DEPARTMENT ENFORCEMENT STAFF SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2019

Short Title & Commencement **1.** **(1)** **These rules may be called the Uttarakhand Transport Department Enforcement Staff Service (Amendment) Rules, 2019.**

(2) **They shall come into force at once.**

Amendment of Rule 8 **2.** **In the Uttarakhand Transport Department Enforcement Staff Service Rules, 2004 (hereinafter referred as principal Rules) for the existing rule -8 set out in column -I below, the rule as set out in column-II shall be substituted; namely;-**

8. For recruitment to different posts in the service a candidate must have following qualifications:-

Column-I Existing Rule			Column-II Rule as Hereby Substituted		
S No	**Designation**	**Qualification**	**S No**	**Designation**	**Qualification**
I	**Enforcement Constable**	**Must have passed High School Examination of Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or Uttarakhand Board of School**	**I**	**Enforcement Constable**	**Must have passed Intermediate Examination of Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or Uttarakhand Board of School Education or any other**

	Column-I Existing Rule			Column-II Rule as Hereby Substituted	
S No	**Designation**	**Qualification**	**S No**	**Designation**	**Qualification**
		Education or any other examination recognised equivalent there to by the Government and must be fit and healthy			examination recognised equivalent there to by the Government
II	Enforcement Driver	(i) Must have passed class 8th examination from a recognised educational institute and (ii) Must possess a valid driving licence of heavy, light motor vehicles, as the case may be, not less than of three years from the date of the vacancy.	II	Enforcement Driver	(i) Must have passed class 8th examination from a recognised education institute and (ii) Must possess a valid driving license of heavy or light motor vehicle, as the case may be, not less than of three years from the date of notification of the vacancy,

3. In the principal Rules, for the existing subrule (2) of rule 9 set out in column I below, the subrule as set out in column II shall be substituted; namely:-

	Column I Existing Rule	Column II Rule Hereby substituted
Amendment of Rule 9	(2) In case of recruitment to the post of Enforcement Driver, other things being equal, preference shall be given to a candidate who has – (i) Passed High School Examination of Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or	(2) In case of recruitment to the post of Enforcement Driver, other things being equal, preference shall be given to a candidate who has – (i) Passed High School Examination of Board of High School and Intermediate Education

	Column I Existing Rule	Column II Rule as Hereby Substituted
	Uttarakhand Board of School Education	Board, Uttar Pradesh or Uttarakhand Board of School Education
	(ii) Knowledge of motor mechanism	(ii) Knowledge of motor mechanism and is a certificate holder of motor mechanism from a recognised Industrial Training Institute
	(iii) Served in Territorial Army for a period of minimum two years.	(iii) Served in Territorial Army for a period of minimum two years.

4. In the principal Rules, for the existing rule 10 set out in column I below, the rule as set out in column II shall be substituted; namely-

	Column I Existing Rule	Column II Rule as Hereby Substituted
Amendment of Rule 10	The age limit for the posts of direct recruitment shall be such as prescribed by the State Government for that group at the time of recruitment:	For applying to the posts of direct recruitment in the service a candidate must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 30 years on first day of July of the year of recruitment:
	Provided that upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

5. In the principal Rules, for the existing rule 13 set out in column I below, the rule as set out in column II shall be substituted; namely:-

	Column I **Existing Rule**	**Column II** **Rule as Hereby Substituted**
Amendment of Rule 13	No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Candidate for the post of Enforcement Constable/ Enforcement Supervisor must also fulfill the following minimum requirements of height and chest measurement:- (i) Height – (a) For General/Scheduled Castes/Backward Castes candidates – 160 centimeter (b) Scheduled Tribes candidates – 157.5 centimeters (ii) Chest – unexpanded – 76.3 centimeter and after expansion – 81.3 centimeter:	No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. For the post of Enforcement Constable/Supervisor must also fulfill the following minimum requirements of height and chest measurement:- (i) Height – (a) For General/Scheduled Castes/Backward Castes candidates – 165 centimeter (b) For Scheduled Tribes candidates – 160 centimeters. (c) For female candidates – 155 centimeters. (ii) Chest for male candidates – without expansion – 78 centimeter and with expansion – 83 centimeter.

Column I Existing Rule	Column II Rule as Hereby Substituted
Provided that "for the purpose of recruitment to any post the candidate should be completly free from colour blindness/squintness.	Provided that for recruitment to any post the candidate must be absolutely free of colour blindness/squintness.
Provided further that knock knee, flat foot, bow-leg, varicose vein, stammering, disabilities and other deformities or problems which may and in any way interfere with the duties of the Enforcement Constable's shall be considered a disqualification"	Provided further that knock- knee, flat-foot, bow-leg, varicose-vein, stammering, disability and other deformity or problems which may create any obstruction in Enforcement Constable's duties shall be considered as disqualification

By Order,

SHAILESH BAGAULI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 परिवहन / 400—2019—100+50 (कम्प्यूटर / रीजियो)।